



● बीआरकेजीबी –भविष्य में प्राप्य किराये के विरुद्ध ऋण योजना

1. उद्देश्य	व्यावसायिक एवं व्यवितरित आवश्यकताओं हेतु Speculative activities अथवा अन्य गतिविधि जो भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो, योजना में स्वीकृति योग्य नहीं है।
2. पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> ➢ कम्पनी/बहु राष्ट्रीय कम्पनी/बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ वाणिज्यिक संगठन, संस्थान/सरकारी, अर्धसरकारी विभाग आदि को किराये पर दिये गये अथवा किराये पर दिये जाने हेतु प्रस्तावित परिसर का मालिक ➢ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा अथवा कार्यालय परिसर अथवा प्रस्तावित परिसर का मालिक
3. ऋण सीमा	<p>निश्चित अवधि (Certain Period) हेतु लीज की शेष अवधि और अनिश्चित अवधि (Uncertain Period) हेतु लीज (वैकल्पिक अवधि) के लिए प्रस्तावित देय अथवा प्राप्ति योग्य किराये (किराये में से आयकर कटौती, अग्रिम किराया एवं Security deposits घटाने के पश्चात) का 55% <u>बशर्ते कि –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ न्यूनतम ऋण राशि ₹ 5.00 लाख ➢ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिसर के मालिक हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। ➢ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परिसर हेतु अधिकतम ऋण सीमा ₹ 20.00 लाख एवं शहरी/अर्धशहरी क्षेत्र में स्थित परिसर हेतु अधिकतम ऋण सीमा ₹ 200.00 लाख <p>निश्चित अवधि (Certain Period) हेतु लीज की शेष अवधि और अनिश्चित अवधि (Uncertain Period) हेतु लीज (वैकल्पिक अवधि) के लिए अवधि अथवा अधिकतम अगले 10 वर्ष की अवधि हेतु किराये के आधार पर ऋण सीमा का निर्धारण किया जायेगा।</p>
4. प्रतिभूति	<ol style="list-style-type: none"> 1. भविष्य में प्राप्य किराये का बैंक के पक्ष में अभिहस्ताकंन (Assignment) 2. ऋण राशि के 150% के बराबर DSV वाली लीज होल्ड अचल सम्पत्ति (जिस पर प्राप्य किराये का Assignment किया गया है) का बैंक के पक्ष में साम्यक बंधन (प्राथमिक + सम्पार्श्वक) 3. किराये का भुगतान सीधा बैंक को करने का बैंक, ऋणी एवं Lessee के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध।
5. ब्याजदर:	बैंक द्वारा समय— समय पर जारी परिपत्रानुसार लागू होगी।
6. सेवा प्रभारः—	दस्तावेजीकरण शुल्क प्रोसेसिंग प्रभार बैंक परिपत्रानुसार ऋण स्वीकृति के समय एक बार वसूल किया जायेगा।
7. पुर्नभुगतान	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिकतम 10 वर्ष अथवा 2. निश्चित अवधि (Certain Period) हेतु लीज की शेष अवधि और अनिश्चित अवधि (Uncertain Period) हेतु लीज (वैकल्पिक अवधि) <p>उपरोक्त दोनों में से जो भी कम हो।</p>